केन्द्रीय सूचना आयोग
बाबा गंगनाथ मार्ग, मुनिरका
नई दिल्ली - 110067.
******

दिनांक: 11.05.2018

प्रथम अपील सं. CIC/AA/A/2018/122
संदर्भ संचिका सं. CICOM/A/2018/00113
CICOM/R/2017/01515

अपीलकर्ता : श्री नरेश कुमार साहू,
म.नं. 1837, तिलयानी बजरिया,
वार्ड नं. 5, बबीना कैण्ट,
जिला – झांसी, उत्तर प्रदेश – 284401.
मो0 – 9919077339.

निर्णय की तारीख : 11.05.2018

आर.टी.आई. आवेदन की तिथि	18.12.2017
आर.टी.आई. के तहत सूचना प्रदान करने की तिथि	29.12.2017
प्रतिउत्तर देने वाले जन सूचना अधिकारी	श्री एच. पी. सेन
प्रथम अपील दाखिल करने की तिथि	24.04.2018
प्रथम अपीलीय अधिकारी के कार्यालय का डायरी सं. व तिथि	200/07.05.2018 (128341/04.05.2018)

1. अपीलकर्ता द्वारा दिनांक 18.12.2017 के आर.टी.आई. आवेदन के माध्यम से छः बिंदुओं पर सूचनाएं मांगी गई थी । अपीलकर्ता ने प्रथम अपील आवेदन में उल्लेख किया है कि उन्हें अभी तक वांछित सूचना प्राप्त नहीं हुई है ।

2. संबंधित संचिका एवं प्रथम अपील का अवलोकन करने पर पाया गया कि अपीलकर्ता के दिनांक 18.12.2017 के आर.टी.आई. आवेदन के संदर्भ में श्री एच. पी. सेन, केन्द्रीय जन सूचना अधिकारी एवं उप-पंजीयक, सूचना आयुक्त-डी.पी. कार्यालय द्वारा दिनांक 29.12.2017 को पत्र सं. CIC/CPIO/IC-DP/2017/0003 के माध्यम से अपीलकर्ता को वांछित सूचना उपलब्ध करवा दी गई है । ऐसा प्रतीत होता है कि श्री एच. पी. सेन, केन्द्रीय जन सूचना अधिकारी द्वारा प्रदान की गई सूचना अपीलकर्ता को प्राप्त नहीं हो सकी है, इसलिए अपीलकर्ता के सुलभ संदर्भ हेतु श्री एच. पी. सेन द्वारा प्रदान की गई सूचना की प्रति इस आदेश के साथ संलग्न है । श्री एच. पी. सेन द्वारा प्रदान की गई सूचना में उल्लेख किया गया है कि *"No information could be provided to you as you have not sought any information under 2 (f) of the RTI Act, 2005"* जो कि आर.टी.आई. आवेदन के बिंदु सं. 2 से 6 के संदर्भ में बिल्कुल सही है, परन्तु आर.टी.आई. आवेदन के बिंदु सं. 1 के तहत अपीलकर्ता द्वारा दिनांक 28.03.2017 को लिखे गए पत्र पर कार्यवाही की सूचना मांगी गई है, जिसे सूचना अधिकार अधिनियम के तहत प्रदान किया जाना अपेक्षित है । अतः श्री एच. पी. सेन, केन्द्रीय जन सूचना अधिकारी एवं उप-पंजीयक, सूचना आयुक्त–डी.पी. कार्यालय को निर्देश दिया जाता है कि इस आदेश की प्राप्ति के दस कार्यदिवसों के अंदर अपीलकर्ता को आर.टी.आई. आवेदन के बिंदु सं. 1 (एक) से संबंधित सूचना उपलबध करवाई जाए ।

3. तद्नुसार अपील निस्तारित की जाती है ।

4. प्रस्तुत संदर्भ में अपीलकर्ता यदि इस आदेश/निर्णय से संतुष्ट न हों तो अधिनियम की धारा 19(3) के अंतर्गत द्वितीय अपील इस आदेश की प्राप्ति के 90 दिनों के अंदर केन्द्रीय सूचना आयोग, बाबा गंग नाथ मार्ग, मुनिरका, नई दिल्ली - 110067 में की जा सकती है ।

संलग्नक – यथोपरि ।

C. I. C./के० सू० आ०
RECEIVED
11 MAY 2018
D. No.
Initials.

(आर. के. सिंह)
अपर सचिव एवं
प्रथम अपीलीय अधिकारी
दूरभाष – 011-26162290

प्रतिलिपि :
1. श्री ए. के. शर्मा, केन्द्रीय जन सूचना अधिकारी, आर.टी.आई. प्रकोष्ठ, केन्द्रीय सूचना आयोग, नई दिल्ली ।
2. श्री एच. पी. सेन, केन्द्रीय जन सूचना अधिकारी एवं उप-पंजीयक, सूचना आयुक्त-डी.पी. कार्यालय, के.सू.आ., नई दिल्ली ।